

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं.(CIN): L40109RJ2000SGC016485 पंजीकृत कार्यालयः "विद्युत भवन",जनपथ, जयपुर 302005

कमांक : राराविप्रनि / भर्ती (अनुकम्पा) / प. ७५८ / प्रे. 880

जयपुर, दिनांक *6*/3/19

आदेश

श्रीमती तुलसी देवी पत्नी स्व. श्री भैरूलाल मांगरोला को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. में उनके पति के स्थान पर अनुकम्पात्मक आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर, दो वर्ष की कालावधि के लिये, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक पर नीचे दर्शायी गई शर्तों एवं नियमों के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नृम के आगे इंगित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:—

क्र. सं.	आश्रित का नाम, पिता/ पति का नाम व पता	जन्म दिनांक	पु./ महिला	श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	श्रीमती तुलसी देवी पत्नी स्व. श्री भैरूलाल मांगरोला, राजपूतों का मोहल्ला, गांव—रोलाहेड़ा, वाया—चन्देरिया, चित्तौड़गढ़ — 312021	01.03.1990	महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, चित्तौडगढ

नियत मासिक पारिश्रमिक / वेतन श्रृंखला:-

परिवीक्षाकालाविध के दौरान इन्हें निगम के आदेश क्रमांक/राराविप्रनि/AAO/एफ एण्ड आर/एफ.102/प्रे. 185 दिनांक 01.01.2018 (F&R No.1149) की अनुसूची — IV (नियम नं. 16) के अन्तर्गत नियमानुसार नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 12600/— (अक्षरे बारह हजार छः सौ रूपये मात्र) देय होगा। परिवीक्षाकालाविध सफलतापूर्वक पूरी करने पर निम्नानुसार वेतनमान अनुज्ञाप्त किया जायेगा :—

क्र. स.	पदनाम	स्टेज	लेवल	वेतन	
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	प्रथम	L-2	17900/-	

नियम एवं शर्ते :--

- 1 नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षाकालाविध पर अस्थाई है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थी का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने पर परिवीक्षाकालाविध में वृद्धि की जा सकेगी। परिवीक्षा अविध की गणना वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए नहीं की जायेगी। यद्यपि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में व्यतीत की गई अविध की गणना अनुभव एवं पदोन्नित के लिए की जायेगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा काल में केवल नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं विशेष वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, परियोजना भत्ता, धुलाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, देय नहीं होंगे । इसी प्रकार



- जहां निर्धारित गणवेश पहनना विधिक रूप से अनिवार्य हो, को छोड़कर गणवेश भी देय नहीं होगी।
- 3 नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन(विशेष वेतन यदि कोई हो तो) तथा महंगाई वेतन / भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है । किन्तु दुराचार / कदाचार तथा पुलिस द्वारा चिरत्र संबंधी प्रतिवेदन पक्ष में नहीं होने के मामले में उसकी सेवाएं किसी भी प्रकार की लिखित सूचना / मुआवजा के बिना समाप्त की जा सकेगी।
- 4 पदभार ग्रहण करने के समय अभ्यर्थी को स्वयं के नाम से जारी 500/— रू. मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक बॉण्ड (प्रारूप परिशिष्ट—'अ' संलग्न हैं) जो कि प्रसारण निगम में देने सम्बन्धी प्रयोजन में हो, देना होगा, जिसमें वह यह घोषणा करे कि वह परिवीक्षा प्रशिक्षु काल में तथा परिवीक्षा काल समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक प्रशिक्षण/सेवा को नहीं छोड़ेगा या त्यागपत्र नहीं देगा या कोई अन्य नौकरी नहीं करेगा। यदि वह इन नियमों एवं शर्तों का उल्लधन करता है तो उसे निगम द्वारा दिये गये सभी प्रकार के पारिश्रमिक, प्रशिक्षण मे निगम द्वारा किये गये खर्च तथा सूचना अवधि की वेतन की राशि निगम को देनी होगी। जो कि अधिकतम 1,50,000/— (एक लाख पचास हजार रूपये) होगी, केवल TA&DA (जो कि संबंधित नियमों के अनुसार दिया गया है,) में छूट होगी और अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान जो कि प्रसारण निगम को देय हो, देना होगा। उक्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, मांग तिथि से एकमुश्त भुगतान की तिथि तक देय होगा।
- 5 नियुक्त व्यक्ति तीन वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने से पूर्व निगम सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे तीन माह पूर्व सक्षम अधिकारी को लिखित नोटिस देना होगा। यदि वह उक्त प्रावधान का उल्लंघन करता है तो तीन माह की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उसके बराबर वेतन का भुगतान निगम को क्षतिपूर्ति के रूप में करना होगा। राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में राशि की कटौती उसको देय वेतन एवं अन्य बकाया भुगतानों से की जा सकेगी।
- 6 उक्त अभ्यर्थियों को जमानत के तौर पर किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी जिसकी ग्रेड पे 2000 या अधिक या पे—मेट्रिक्स के लेवल—4 या अधिक हो, की जमानत (Surety) देनी होगी। जिसमें यह उल्लेखित हो की यदि वह शर्त संख्या 4 की अनुपालना के बिना निगम की सेवा का त्याग करता है तो उस केन्द्रीय/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी द्वारा निगम को क्षतिपूर्ति/हर्जाना देना होगा। (प्रारूप परिशिष्ट 'ब' संलग्न है)
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । कार्य पर रहते हुए की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं परिवीक्षा काल के दौरान स्थानांतरण पर मासिक नियत पारिश्रमिक के आधार पर माइलेज भत्ता एवं इंसीडेंटल चार्जेज ही देय होंगे।
- नियुक्त व्यक्ति निगम की भविष्य निधि योजना (सीपीएफ) के सदस्य होंगे एवं इनके वेतन से पीएमसीएफ की कटौती नहीं की जायेगी।
- 9 यदि नियुक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अधीन नहीं आता हो तो वह मेडीक्लेम बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत चिकित्सा पुर्नभरण राशि नियमों के अनुसार प्राप्त कर सकेगा ।
- 10 प्रशिक्षणार्थी सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत समाविष्ट होगा जिसकी प्रीमियम राशि की नियमित कर्मचारियों की भाँति उसके पारिश्रमिक में से कटौती की जायेगी ।
- 11 निगम की ऑवासीय कॉलोनी में आवास उपलब्ध होने पर नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक को मूल वेतन मानते हुए साधारण किराये की दर से आवास आवंटित



किया जा सकेगा ।

- 12 i परिवीक्षा प्रशिक्षु कालावधि में नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 15 एवं इससे कम अवधि के लिए इसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश देय है ।
 - ण परिवीक्षा प्रशिक्षु कालाविध में प्रत्येक 20 दिन के लिए एक उपार्जित अवकाश देय होगा जो कि एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 18 दिन देय होगा।
 - iii सेवा समाप्ति अवकाश (टर्मिनल लीव), मातृत्व / पितृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगा।
- 13 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने पर उसे प्रतिनियुक्ति भता देय नहीं होगा ।
- 14 यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा भ्रूगरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहेगी। कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को अपना आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक (जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रधान चिकित्सा अधिकारी/राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल अधीक्षक के स्तर से कम न हो) द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु दिये गये चिकित्सा परीक्षण शुल्क की राशि का पुनर्भरण (Reimbursement) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा कर दिया जायेगा।
- 15 यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्यधीन रहेगी। कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को सम्बधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अभाव में उसकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस/सूचना के समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी।
- 16 प्रशिक्षणार्थी की नियुक्ति बिना किसी सूचना के स्वतः समाप्त हो जायेगी, यदि यह पाया गया कि 01.06.2002 को या बाद में प्रशिक्षणार्थी के 2 से अधिक बच्चे है। यदि 01.06.2002 से पहले 2 या 2 से अधिक बच्चे है तो उसकी नियुक्ति की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।
- 17 यह नियुक्ति अस्थाई है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एव अन्य दस्तावेजो के प्रमाणीकरण के अध्यधीन रहेगी ।
- 18 नियुक्त व्यक्ति को आवश्यकतानुसार निगम के कार्य क्षेत्र में कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है ।
- 19 सेवा की अन्य नियम एवम शर्ते निगम के समान श्रेणी के कार्मिको के समान होगी ।



- 20 परिवीक्षाकालावधि में स्थानान्तरण सम्बन्धी किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 21 नियुक्त व्यक्ति को एक लिखित उद्घोषणा इस आशय हेतु प्रस्तुत करनी होगी कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भलीभांति पालन—पोषण करेगा एवं उनकी उचित ढंग से देखभाल करेगा। यदि किसी समय यह बात साबित हुई कि नियुक्त कर्मचारी अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा / रही है या उनका उचित ढंग से ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो नियोक्ता अधिकारी उसे एक अवसर देते हुए कारण बताओं नोटिस जारी करने के पश्चात् उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा।
- 22 उपरोक्त नियुक्त किये जा रहे मृतक कर्मचारी के आश्रित से एक प्रमाण पत्र लिया जावेगा कि मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को भृतिलाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। यदि भृतिलाभ दिया जा रहा है तो भृतिलाभ बंद करने हेतु उस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें जहां मृतक

कर्मचारी कार्यरत था तथा उसकी सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवायें।

- 23 कार्यग्रहण करते समय नियुक्त व्यक्ति / पदधारी को निम्नलिखित दस्तावेज एवं मूल प्रमाण पत्र संवीक्षा के लिए एवं उनकी सत्यापित प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु प्रस्तुत करनी होगी:-
 - i सैकेण्डरी स्कूल अंक तालिका / प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी की जन्म दिनांक अंकित हो।
 - ii शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित दस्तावेज यदि कोई हो।
 - iii अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र, अगर इस वर्ग से संबंधित हो तो।
 - iv सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (यदि विवाहित हो)
 - v विवाहित होने की दशा में शपथ पत्र जिसमें सभी बच्चों (दत्तक एवं सौतेले सहित) के नाम और जन्म दिनांक अंकित हो और संतान नहीं होने की दशा में एक शपथ पत्र।
 - vi मूल निवास प्रमाण-पत्र।
 - vii यदि सामान्य/अपिव/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग का अभ्यर्थी राजस्थान के घोषित जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का मूल निवासी हो तो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
 - viii एक स्वप्रमाणित शपथ पत्र कि उसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और उसे किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोषी करार नहीं दिया गया है। यदि वह किसी भी आपराधिक मामले में दोषी है अथवा उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है तो उसका शपथ पत्र में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाये।
 - ix परिवीक्षा अवधि के दौरान एवं नियुक्ति के पश्चात् निगम से किसी भी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् निगम सेवा छोड़ने /त्याग पत्र देने की स्थिति में 500/— रूपये के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बॉण्ड/बाध्य पत्र जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो (प्रारूप परिशिष्ट—'अ' संलग्न है)।
 - x किसी केन्द्र / राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (Public Undertaking) के कर्मचारी (ग्रेंड पे 2000 या अधिक या पे—मेट्रिक्स के लेवल—4 या अधिक हो) से परिशिष्ट—'ब' के अनुसार जमानती बॉण्ड / बाध्य पत्र जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो। (500 / रूपये का नॉन—ज्यूड्शियल स्टाम्प जमानत देने वाले के नाम से क्रय किया गया हो।)



- xi नियुक्ति के समय प्रस्तुत आरोग्यता चिकित्सा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- xii नियुक्ति के समय प्रस्तुत पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।
- xiii शर्त 21 के अनुसार लिखित बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग)।
- xiv शर्त 22 के अनुसार लिखित लिखित बाध्य पत्र (अंडरटेकिंग)।
- xv शपथ पत्र बाबत दिवंगत कर्मचारी का कोई भी (पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र / पुत्री) केन्द्र या राज्य सरकार में अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड,संगठन / निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र / राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन पहले से ही नियोजित नहीं है परन्तु मृतक कर्मचारी की पत्नि के नियुक्ति प्रकरण में यह शर्त लागू नहीं होगी।

- xvi दो उत्तरदायी व्यक्तियों / राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह से पूर्व का जारी न किया गया हो ।
- xvii बचनबधंता (अंडरटेकिंग) कि नियुक्ति के पश्चात कर्मचारी धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं . करेगा। (वचनबंध प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'स' संलग्न है)
- xviii नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि पर स्वलिखित एवं हस्ताक्षरित स्वीकृति जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि ''मैंने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु) के नियुक्ति आदेश के नियम एवं शर्तों को भली—भाँति पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करती हूँ।''

यदि नियुक्ति की उपरोक्त शर्ते स्वीकार्य है तो अभ्यर्थी पदस्थापन आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर कार्यरथल पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करें । निर्धारित अविध के अन्दर उपस्थित नहीं देने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी उक्त अभ्यर्थी के कार्य पर उपस्थित होने की सूचना इस कार्यालय ा भिजवायें।

संलग्न :--

आज्ञा से,

(श्याम सिंह शेखावत) सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. मुख्य लेखा नियंत्रक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयप्र।

2. मुख्य अभियन्ता (), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।

3. संयुक्त विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।

4. अधीक्षण अभियन्ता (टी एण्ड सी), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, चित्तौडगढ

5. सचिव (अंशदायी भविष्यु निधि न्यास), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।

6. उपनिदेशक कार्मिक / कार्मिक अधिकारी (), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम,

7. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।

8. सिस्टम एनालिस्ट, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।

9. निजी सचिव-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।

10. निजि सहायक, सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।

11. श्रीमती तुलसी देवी पत्नी स्व. श्री भैरूलाल मांगरोला, राजपूतों का मोहल्ला, गांव-स्माहे

वाया—चन्देरिया, चित्तौडगढ़ — 312021 12. कार्यालय पत्रावली / व्यक्तिगत पत्रावली ।

> (अमिताम गुप्ता) संयुक्त निदेशक कार्मिक

D

BOND FOR THE CLASS-IV/PEON TO BE EXECUTED BEFORE POSTING IN RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD. (On Non-Judicial Stamp Paper of Rs.500/- duly attested by the Notary Public)

KNOW	ALL	MEN	that	I				_ s	/D/W	of	Shri
				Age		year	S	F	Resident		of
	······································		hereby	agree	to	execute	this	Bond	in full	se nse	and
knowledge as fo	llows :-		•								
I	111777			ha	ive '	been sele	ected	as Pro	bationer	Traine	e on
the post of Cla	ss-IV/Pe	eon und	der the	order N	Vo.				_ dated		of
Rajasthan Rajy											
diligently faithfu	illy and	to the b	est of my	ability	, un	dergo the	e traii	ning as	Probation	oner Tra	ainee
as well as all ot											
and obediently t											
at any time befo											
training period.	. •						•				_

I bind myself that I will not leave my training/ service or resign and will not engage directly or indirectly in any trade/ business/ occupation till the end of the period of 'Probation-Training' and within one year after completion of Probation-Training.

In consideration of being sent on any other training (other than Probation training) I bind myself to serve RVPN during as well as after completion of training(s) for a minimum period of one year if the training is for a period exceeding three months but upto six months and for two years if it exceeds six months.

In case of my any act contrary to or default of any provision stipulated at para 1 2 & 3 above I bind myself and my heirs executors and administrators to pay to RVPN on demand all emoluments/ pay & DA including expenses incurred on me during my training periods alongwith amount of remuneration/salary for notice period (excluding Travelling & daily allowance) subject to maximum of Rs.150000/- (Rupees One lac fifty thousand) only and any other amount that may be due to RVPN together with interest & 12% per annum from the date of demand to the date of payment in lump-sum in the event of following eventualities:-

- a) In case I fail to take due interest in the Probation Training or any other training arranged by RVPN.
- b) In case my attendance during the training period at the place where my name has been nominated/ sponsored falls below 80% of the total training days.
- c) In case of serious misconduct on my part during the training period.
- d) In case I leave the Probation training or any other training arranged by RVPN at any time before completion of full period of training or quit service before the period as detailed in para-2 and 3 above.

In case after completion of 3 years' period and also during any period otherwise not covered by para 1 2 & 3 above I resign or leave service of RVPN without giving three months' notice in writing to the Controlling Officer I bind myself to pay the amount of salary for the notice period falling short of 3 months' as compensation to the RVPN and in case of any default the amount may be deducted from any money due to me.

I further bind myself that the decision of Chairman & Managing Director RVPN or any officer nominated by him as to the correct interpretation of the Bond rules & regulations etc. and as to whether I have or have not observed and complied with the obligations herein recited shall be final and binding upon me.

		s of RVPN before expiry of the minimum
		service as prescribed in this bond I will
be under the ob	bligation to refund the entire amoun	t of expenses incurred on me (excluding
Travelling & da	aily allowance) subject to maximum	of Rs.150000/- (Rupees One lac fifty
		due to RVPN as per the undertaking
given by me her	rein above together with interest & 1	2% per annum from the date of demand
to the date of p	eayment in lump-sum as certified by	the concerned Chief Accounts Officer/
	fficer/ Accounts Officer.	•
	,	
		Signed & delivered by the
		above bonded person
		•
Witness: - 1	L. Signature	
	Name	
	Occupation	•
	Address	
2	2. Signature	
C	Name	
	Occupation	
	Address	
Accepted:- For a	and on behalf of the Rajasthan Rajya	Vidyut Prasaran Nigam Ltd.
Place		
Date		
		Head of Department /

Head of Department/ Superintending Engineer RVPN SURETY TO BE GIVEN ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF RS.500/- DULY ATTESTED BY THE NOTARY PUBLIC BY AN EMPLOYEE OF CENTRAL/STATE GOVERNMENT OR PUBLIC UNDERTAKINGS GETTING GRADE PAY RS. 2000/- OR ABOVE OR PAY MATRIX LEVEL-4 OR ABOVE.

I	S/D/W work ess with Phone No.)	of Shri		Age
(with full add	work Phone Na	cing as (De	signation)	Deptt.
	ress with Phone No.)			
appointed as F	roparioner trainee on	une post	of Class-IV/Pe	on vide order No
Prasaran Niga	m Ltd. (in short R	dated VPN) and	of Rajas	than Rajya Vidyut
arranged by RV obediently towar trainings at any	will did the training as Probat PN and conduct and b ds his/ her superiors a time before completion ing the training period.	ehave hims and manag	self/ herself ho	all other trainings onestly orderly and
That Shri/Msnot engage directive period of Probation-Training	wil tly or indirectly in any 'Probation-Training' a ng.	ll not leave trade/ buend within	training/ servionsiness/ occupation one year aft	ce/ resign and will tion till the end of er completion of
for a minimum	of Shri/Ms will see period of one year if the six months and for two	he training	ris for a namia	etion of training(s)
administrators to expenses incurre remuneration/sa subject to maxim other amount that	will indu 1 2 and 3 above I less pay to RVPN on dem d on him/her during stary for notice period um of Rs.150000/- (Rust may be due to RVPN demand to the date lities:-	and all em such traini (excluding upees One	If and my heir columents/ pay ing periods alor g Travelling & lac fifty thousan	rs executors and & DA including ngwith amount of daily allowance) and only and any

- a) In case he/she fails to take due interest in the Probation Training or any other training arranged by RVPN.
- b) In case his/ her attendance during the training period at the place where his/ her name has been sponsored falls below 80% of the total training days.
- c) In case of serious misconduct on his/ her part during the training period.
- d) In case he/ she leaves the Probation training or any other training arranged by RVPN at any time before completion of full period of training or quit service before the period as detailed in para-2 and 3 above.

any officer no rules & regula	minated by him as to the ations etc. and as to whet and complied with the ob	f Chairman & Managing Director RVPN or correct interpretation of the Surety Bondher Shri/ Ms has or has digations herein recited shall be final and
expiry of the ras prescribentire amount allowance) sur only and any otherein above to the date of pa	minimum period of Probaticed in this Surety and Bo of expenses incurred or object to maximum of Rs. other amount that may be ogether with interest @ 12	leaves the services of RVPN before on training or any other training or services and I will be under obligation to refund the him/ her (excluding Travelling & daily 150000/- (Rupees One lac fifty thousand) due to RVPN as per the surety given by me 2% per annum from the date of demand to certified by the concerned Chief Accounts Officer.
		Signature of Surety with rubber stamp of Designation Office
Witness: - 1	. Signature Name Occupation Address	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2.	Name Occupation Address	
Accepted: - For	and on behalf of the Rajas	sthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd.
	·	

Head of Department/ Superintending Engineer RVPN

APPENDIX - C

वचनबंध प्रपत्र

में		पुत्र / पुः	त्री श्री / श्रीमती		
निवासी	***************************************				
			सेवन नहीं करत	ा हूँ / करती	हूँ।

हस्ताक्षर वचनबद्धकर्ता